अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर-2, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ -226002

पत्र संख्याःडीजी-चार-परिपत्र-40 /2020 दिनांकःलखनऊःनवम्बर 25, 2020

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश पुलिस।

नागरिक पुलिस से पदावनत एवं पी0ए0सी0 में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-यू0ओ0-80/2308/6-पु-1-20-1600(131)/2020, दिनांक 06.11.2020 के प्रस्तर-2 (3) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि **"भविष्य में पीएसी के किसी कार्मिक को नागरिक पुलिस में नहीं भेजा जायेगा"** के आलोक में पी0ए0सी0/सशस्त्र पुलिस से जनपद/इकाईयों में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1- पी0ए0सी0/सशस्त्र पुलिस कर्मियों को पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जनपद/इकाईयो, (सुरक्षा शाखा, यातायात, मेट्रो, डायल-112, एस0टी0एफ0, ए0टी0एस0 आदि) तथा अन्य मुख्यालय/कार्यालयों में राजकीय कार्य के हित में स्थानान्तरित किया जाता है, ऐसे स्थानान्तरित सभी कर्मियों का मूल लियन पी0ए0सी0 में बना रहेगा।

2- पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा पी0ए0सी0/सशस्त्र पुलिस के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी /कर्मचारी के स्थानान्तरण पी0ए0सी0 से अन्य किसी भी जनपद/इकाई में किये जायेंगे तो आदेश में स्पष्टरूप से अंकित किया जायेगा कि मूल लियन पी0ए0सी0 में बना रहेगा।

3- पी0ए0सी0 के कार्मिक प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने हेतु अपने प्रार्थना-पत्र पी0ए0सी0 वाहिनी में देंगे। वाहिनी से इनके प्रार्थना-पत्र पी0ए0सी0 मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त पी0ए0सी0 मुख्यालय की संस्तुति के अनुसार प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण पर कार्यवाही की जायेगी ।। वाहिनियों से सीधे स्थापना शाखा को प्रकरण नही भेजा जायेगा और अगर आता भी है तो स्थापना शाखा द्वारा पी0ए0सी0 मुख्यालय को भेजा जायेगा।

4- पी0ए0सी0 से अन्यत्र जनपद/इकाई हेतु स्थानान्तरित/प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानान्तरित कार्मियों द्वारा अपने नियुक्ति के पी0ए0सी0 वाहिनी/इकाई से सर्व प्रथम स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में पी0ए0सी0 मुख्यालय में अपने आगमन की सूचना दी जायेगी। पी0ए0सी0 मुख्यालय द्वारा ही स्थानान्तरण के जनपद/इकाई/प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कराया जायेगा, स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त का विवरण एक रजिस्टर में तिथिवार अंकन किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

5- पी0ए0सी0/सशस्त्र पुलिस से अन्यत्र जनपद/इकाई/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मियों की प्रत्येक त्रैमास में पी0ए0सी0 मुख्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी तथा विवरण तैयार कर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(एच.सी. अवस्थी) 18/11/20
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित है कि पीएसी/सशस्त्र पुलिस कर्मियों के स्वीकृत पद के सापेक्ष उपलब्धता, रिक्ति एवं अधिकता का विवरण पीएसी मुख्यालय से प्राप्त कर भर्ती बोर्ड को भेजे जाने वाले अधियाचित पदों की यथावधिक स्थिति अपने अधीनस्थ अनुभाग-10 में तैयार रखने हेतु।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त राजपत्रित अधिकारी, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

Scanned by CamScanner